

कैबिनेट में राज्य जल वदियुत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारति) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में पंप स्टोरेज आधारति जल वदियुत परियोजनाओं की स्थापना हेतु नविश को प्रोत्साहन देने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य जल वदियुत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारति) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बदि

- प्रारंभिक स्तर पर छत्तीसगढ़ में पंप स्टोरेज आधारति जल वदियुत परियोजनाओं की स्थापना हेतु जनरेशन कंपनी द्वारा 7 स्थलों पर लगभग 10 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजना का चिह्नांकन किया गया है।
- इन चयनति स्थलों में कोरबा, जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर ज़िले में परियोजना की स्थापना का अध्ययन किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ राज्य जल वदियुत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारति) स्थापना नीति 2022 के अंतर्गत पंप स्टोरेज आधारति जल वदियुत परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामति किया गया है। नोडल एजेंसी द्वारा चिह्नांकति परियोजना हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा वसितुत परियोजना प्रतविदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य में कोयले की प्रचुर उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में कोयला आधारति वदियुत उत्पादन परियोजना स्थापति हो रही हैं। कसि भी वदियुत प्रणाली के स्थायतिव एवं सुचारु संचालन के लिये ताप वदियुत क्षमता एवं जल वदियुत क्षमता उत्पादन क्षमता का समुचति अनुपात होना चाहिये। वर्तमान में राज्य की वदियुत प्रणाली में जल वदियुत उत्पादन का अंश आदर्श स्थिति के अनुरूप नहीं है।